न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 73 सन् 2019

महेन्द्र सिंह .....वादी

बनाम

तपेश्वर सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांकः– 03.07.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उभय पक्ष उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से दिनांक 02.08.2019 को आदेश 39 नियम 7 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत विवादित भूमि के स्थानीय निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने हेतु दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी ने आवेदन में कहा है कि वादी ने प्रस्तुत वाद न्यायालय में प्रतिवादीगण फरीक 1 के विरूद्ध तकरारी जायदाद पर अपने हकियत की उद्घोषणा के परितोष हेतु दाखिल किया है। जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादी फरीक 1 काफी उग्र हो गए। प्रतिवादी फरीक 1 तकरारी जायदाद के हैत को बदल कर अपने दखल कब्जा को सबूत पैदा कर लना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में न्यायाहित में किसी अधिवक्ता आयुक्त को स्थानीय निरीक्षण हेतु नियुक्त कराकर तकरारी जायदाद का स्थल की जांच कर प्रतिवेदन अभिलेख पर मांग लिया जाए। वादी अधिवक्ता आयुक्त की फिस नजारत में जमा करने को तैयार हैं। अतः निवेदन है कि तकरारी जायदाद तालिका नं0 1 के स्थानीय निरीक्षण हेतु किसी अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर अधिवक्ता आयुक्त को आवेदन में लिखित बिन्दुओं का स्थल जांच कर प्रतिवेदन अभिलेख पर समर्पित करने हेतु निर्देशित किया जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी महेन्द्र सिंह के द्वारा तपेश्वर सिंह व अन्य के विरूद्ध वाद दाखिल कर यह परितोष मांगा है कि घोषित कर दिया जाए कि तकरारी जायदाद वादी एवं प्रतिवादी फरीक 2 के पूर्ण हकियत व अधिकार वाली जायदाद है। जिससे प्रतिवादी फरीक 1 या अन्य किसी व्यक्ति को कोई सरोकार नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 के द्व ारा दिया गया वोसिका बैनामा एवं वोसिका मरम्मती शुन्य दस्तावेज है। जिसकी पाबंदी वादी पर नहीं है। प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर कहा है कि प्रतिवादीगण तकरारी जायदाद पर वादी के दखल कब्जे में व्यावधान पैदा कर वादी को ता जबरदस्ती अपने अग्नेशास्त्र के बल पर बेदखल कर देना चाहते हैं और उस पर अपने दखल कब्जा का सबूत पैदा करने के लिए पुनः निर्माण कर लेने को अमादे हैं। ऐसी परिस्थिति में तकरारी जायदाद तालिका नं0 1 वादपत्र की वर्तमान स्थिति का अभिलेख पर आना आवश्यक प्रतीत होता है जिससे न्यायालय के समक्ष यह तकरारी एराजी का वर्तमान स्वरूप प्रस्तुत किया जा सके। अतः वादी की ओर से अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन तकरारी एराजी के स्थल निरीक्षण हेतु स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 02.08.2019 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 1500/— रूपये नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक 09.07.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।